न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2021/321
मिसलनम्बर– 73/2021

सत्यनारायण गुप्ता पुत्र श्री मोहनलाल जी गुप्ता जाति महाजन निवासी मकान नं0 3 जी 44 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा

प्रार्थी।

बनाम

श्रीमति एकता जैन पत्नि स्व0 श्री राहुल गुप्ता अध्यापिता निवासी मकान नं0 1/462 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सवाई माधोपुर तहसील एवं जिला सवाई माधोपुर

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/4/24

उपस्थिति:–

1.श्री जगदीश प्रसाद शर्मा प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री श्याम कुमार गुप्ता अप्रार्थी अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी 64 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, तथा प्रार्थी उसके स्वयं के द्वारा बनवाये गये मकान नं0 3–जी–44, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा (राज०), में निवास करता है। प्रार्थी का मकान नं० 3–जी–44, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा (राज0), में स्थित है, जो प्रार्थी ने अपनी मेहनत व कमाई से खरीदा एवं निर्माण करवाया है। प्रतिपक्षीणी के पति स्व0 श्री राहुल गुप्ता जो कि प्रार्थी का पुत्र था, उसका देहान्त कुछ समय पूर्व हो चुका है। प्रतिपक्षीणी सवाई माधोपुर में अध्यापिका के रूप में सरकारी नौकरी कर रही है। प्रतिपक्षीणी प्रार्थी के पुत्र के जीवनकाल में उसके साथ नहीं रही, तथा उसकी सार सम्भाल भी नहीं की, केवल मात्र उसके देहान्त के समय प्रतिपक्षीणी कोटा मकान पर आई, तथा उसके बाहरवें का कार्यक्रम निपटाने के बाद प्रतिपक्षीणी सवाई माधोपुर चली गई, परन्तु प्रतिपक्षीणी उक्त मकान 3–जी–44, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा (राज0), की निचली मंजिल (ग्राउण्ड प्लौर) के कमरे व किचन पर ताला लगाकर चली गई, जिसमें प्रार्थी के भी सामान अन्दर रखे है, प्रतिपक्षीणी से इस सम्बन्ध में कहने के बाद भी प्रतिपक्षीणी ने उक्त पोर्शन का तालां नहीं खोला। प्रार्थी काफी वृद्ध है, तथा सीनियर सिटीजन है, तथा प्रार्थी उच्च रक्तचाप एवं हृदयरोग जैसी गम्भीर बीमारीयों से पीडित है, परन्तु प्रतिपक्षीणी प्रार्थी को ऐनकेन प्रकारेण मानसिक व शारिरिक रूप से तंग व परेशान करती रहती है, जबकि प्रार्थी कहीं भी आने जाने में परेशानी महसूस करता है। प्रतिपक्षीणी ने पूर्व में उसको थाने पर बूलवाकर भी काफी प्रताडित किया था। उक्त मकान प्रार्थी की सम्पति है, तथा इसको प्रतिपक्षीणी हडपना चाहती है, प्रार्थी ऊपर की मंजिल (फर्स्ट फ्लोर) पर रहता है, उनको आने–जाने, व

अधिकारी ★ कोटा ★ उपखण्ड

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सीढियां चढ़ने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। प्रार्थी प्रतिपक्षीणी को अपने उक्त मकान में नहीं रखना चाहता है, तथा प्रतिपक्षीणी से उक्त परिसर को खाली करवाना चाहता है, जिसके लिये प्रार्थी ने प्रतिपक्षीणी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 04.08.2021 को एक नोटिस मियादी 7 दिवस का प्रेषित करवाया, तथा नोटिस प्राप्ति से 7 दिवस में परिसर खाली करने बाबत सूचित किया, प्रतिपक्षीणी ने उक्त नोटिस को प्राप्त नहीं किया, इस प्रकार प्रतिपक्षीणी को उक्त नोटिस की जानकारी हो चुकी है, तथा नोटिस अवधि समाप्त होने पर भी प्रतिपक्षीणी ने प्रार्थी के मकान को खाली नहीं किया है, इस कारण प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र. पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षीणी को माननीय न्यायालय में तलब किया जाकर प्रतिपक्षीणी से प्रार्थीगण का मकान खाली कर प्रार्थी को कब्जा दिलवाये जाने बाबत आदेश प्रदान करने की अनुकम्पा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु जवाब पेश नही किया अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रार्थीग की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया। अप्रार्थी की ओर से बहस नही की गई।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं प्रार्थी की ओर से बहस में किये गये कथनो से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान मकान नं0 3 जी 44 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा में निवास नही करती है। जिस कारण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 30/9/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा